संख्या-21/2015/716/चालीस-2015

प्रेषक,

अशोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अनु सचिव/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
शिक्षा सचिव शाखा,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 08 जुलाई, 2015

विषय: उपाध्यक्ष, राज्य एकीकरण परिषद, उत्तर प्रदेश के देयों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री आबिद खान को राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या-20/2015/सी0एम0-18/चालीस-2015-27(29)/92, दिनांक 20-5-2015 द्वारा राज्य एकीकरण परिषद, उत्तर प्रदेश को एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष नामित किया गया है।

श्री आबिद खान, उपाध्यक्ष राज्य एकीकरण परिषद, उ0प्र0 को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/जी-2-44/दस-2014-1(विविध)/दस-2014, दिनांक 15-12-2014 में निहित व्यवस्थान्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20 मई, 2015 से सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में व्यवस्थिति धनराशि में से नीचे तालिका में अंकित सम्प्रति कुल रूपये 7,20,000/-(रूपये सात लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि आप के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मद	धनराशि (हजार रूपये में)
04- यात्रा व्यय	150
07- मानदेय	480
13- टेलीफोन पर व्यय	40
49- चिकित्सा व्यय	50
योग	720

2- उपाध्यक्ष, राज्य एकीकरण परिषद को रू0 35,000/- प्रतिमाह नियत मानदेय दिया जायेगा जिस पर कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा और इसका सम्बन्ध उन्हें प्राप्त होने वाली पेंशन, यदि कोई हो, से नहीं होगा।

3- उपाध्यक्ष, राज्य एकीकरण परिषद को बैठकों में भाग लेने हेतु बाहर से आने की दशा में यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता एवं प्रासंगिक व्यय (इन्सीडेंटल चार्जेज) उन्ही दरों पर अनुमन्य होगा,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जैसा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 एवं सुसंगत आदेशों में सम्बन्धित संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर के सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में विहित की गयी हों।

4- उपाध्यक्ष, राज्य एकीकरण परिषद को टेलीफोन की सुविधा कार्यालय तथा आवास दोनों स्थानों पर प्रति टेलीफोन अधिकतम रू0 25,000/- वार्षिक देय होगा।

5- उपाध्यक्ष, राज्य एकीकरण परिषद को प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत समूह "क" के अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधा देय होगी ।

6- उक्त धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-53 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-06 राज्य एकीकरण परिषद के उपाध्यक्ष को देय सुविधायें" के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अशोक कुमार
सचिव,

संख्या- 21/2015/716(1)/चालीस-2015,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अनुभाग अधिकारी (लेखा), शिक्षा सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश शासन को तीन प्रतियों में।
6- वित्त सामान्य अनुभाग-2
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in